पेश हो

16/4/25 राजस्व अपील वकील वादी उपस्थित। पत्रावली प्रस्तुत कर पेश की गई। वादी द्वारा वाद वापिस लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया है। अतः पत्रावली निर्णय एवं डिक्री वास्ते पेश है।

हस्ताक्षर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 ए. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बाडी जिला धौलपुर (राज0)**
व इजलास **श्री भगवत शरण त्यागी (R.A.S.)**

1. राजवीर पुत्र बाबू जाति गुर्जर निवासी ग्राम ज्वारे का पुरा, कस्वानगर तह0 बाडी जिला धौलपुर राज0

बनाम

1. निरोती पुत्र रामरतन
2. जीतेन्द्र पुत्र महावीर
3. रिंकू पुत्र महावीर
4. रविन्द्र पुत्र महावीर
5. हरवीर पुत्र महावीर
6. धुन्धी पुत्र सोबरन
7. महेन्द्र पुत्र सोबरन
8. अजीत पुत्र धुन्धी
9. जोगेन्द्र पुत्र धुन्धी
10. देशराज पुत्र धुन्धी
11. इन्द्रवीर पुत्र महेन्द्र
12. रामनरेश पुत्र महेन्द्र

समस्त जातिगण गुर्जर निवासीगण ग्राम ज्वारे का पुरा, कस्वानगर तह0 बाडी जिला धौलपुर राज0

13. बाबू पुत्र सोबरन जाति गुर्जर निवासी ग्राम ज्वारे का पुरा, कस्वानगर तह0 बाडी जिला धौलपुर राज0
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी बहैसियत लैण्ड होल्डर

दावा दावत

मुकदमा नं. **108/2022**
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वंय
व हाजरी **श्री भगवती प्रसाद शर्मा एड0** मिनजानिव मुद्दई **श्री**
मिनजानिव मुख्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है

दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रश्नगत आराजी खसरा नं0 1021 रकवा 0.5059 हैक्टेयर, 987/1741 रकवा 1.2646 हैक्टेयर, 1019 रकवा 0.7967 हैक्टेयर बाँके ग्राम कस्बानगर तहसील बाड़ी जिला धौलपुर में प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे वादी की आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत वैजा पैदा नहीं करें और ना वादी की आराजी में खड़ी फसल को उजाडे, न वादी को काश्त करने सें रोकें, न किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करें, न अन्य से करावें।

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज

नीज .... मुबलिग..................... बाबत ....खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शहर .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक .... को अदा करें।

वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **16** माह **04** साल **2025** को जारी की गई।

दस्तखत ...उपखण्ड अधिकारी

ओहदा उपखण्ड अधिकारी जाडी

मुहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला – धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – **श्री भगवत शरण त्यागी आर.ए.एस.**

उनवान

राजवीर **बनाम** निरोती

1. राजवीर पुत्र बाबू जाति गुर्जर निवासी ग्राम ज्वारे का पुरा, कस्वानगर तह0 बाडी जिला धौलपुर राज0

वादी :–

बनाम

1. निरोती पुत्र रामरतन
2. जीतेन्द्र पुत्र महावीर
3. रिंकू पुत्र महावीर
4. रविन्द्र पुत्र महावीर
5. हरवीर पुत्र महावीर
6. धुन्धी पुत्र सोबरन
7. महेन्द्र पुत्र सोबरन
8. अजीत पुत्र धुन्धी
9. जोगेन्द्र पुत्र धुन्धी
10. देशराज पुत्र धुन्धी
11. इन्द्रवीर पुत्र महेन्द्र
12. रामनरेश पुत्र महेन्द्र

समस्त जातिगण गुर्जर निवासीगण ग्राम ज्वारे का पुरा, कस्वानगर तह0 बाडी जिला धौलपुर राज0

प्रतिवादीगण :–

13. बाबू पुत्र सोबरन जाति गुर्जर निवासी ग्राम ज्वारे का पुरा, कस्वानगर तह0 बाडी जिला धौलपुर राज0
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी बहैसियत लैण्ड होल्डर

तरतीवी प्रतिवादीगण :–

उपस्थित वादी के वकील – श्री भगवती प्रसाद शर्मा एड0

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0ए0

दावा सं. 108/2022 दिनांक :– 16.04.2025

निर्णय

वादी द्वारा उक्त उनवान का दावा पेश कर निवेदन किया है कि :–

उपखण्डाधिकारी
बाडी धौलपुर) राज

विवादित आराजी ख0नं0 1021 रकवा 0.5059 हैक्टेयर, 987/1741 रकवा 1.2646 हैक्टेयर, 1019 रकवा 0.7967 हैक्टेयर बाँके ग्राम कस्बानगर तहसील बाड़ी जिला धौलपुर में स्थित है। आराजी ख0नं0 1021 रकवा 0.5059 हैक्टेयर, 987/1741 रकवा 1.2646 हैक्टेयर बाँके ग्राम कस्बानगर तहसील बाड़ी में वादी व तरतीवी प्रति0 13 1/2 के अभिलिखित खातेदार काश्तकार हैं तथा आराजी ख0नं0 1019 रकवा 0.7967 हैक्टेयर बाँके ग्राम कस्बानगर तहसील बाड़ी में वादी सम्पूर्ण भाग का अभिलिखित खातेदार काश्तकार है तथा उक्त आराजी ख0नं0 1021 रकवा 0.5059 हैक्टेयर व आराजी ख0नं0 987/1741 रकवा 1.2646 हैक्टेयर का वादी एवं तरतीवी प्रति0 सं0 13 के मध्य मौखिक रूप से बाहमी बंटवारा हो चुका है। उस बाहमी बटवारे के आधार पर वादी अपने 1/2 हिस्से की आराजी में काबिज होकर काश्त कर रहा है। तथा शेष 1/2 हिस्से के तरतीवी प्रति0 सं0 13 काश्त कर रहे है तथा आराजी ख0नं0 1019 रकवा 0.7967 हैक्टेयर के सम्पूर्ण हिस्से पर वादी आराजी मे काबिज होकर काश्त कर रहा है। विवादित आराजी से प्रति0 का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। विवादित आराजीयात के काबिज खातेदार काश्तकार वादी एवं तरतीवी प्रति0 सं0 13 है। प्रति0 का विवादित आराजीयात से कोई भी सम्बन्ध व सरोकार नहीं है और नाही प्रति0 व उसके पूर्वजों की उक्त विवादित आराजीयत पर कोई स्वामित्व व आधिपत्य व कब्जा रहा है। फिर भी करीब एक सप्ताह पूर्व प्रति0 हाथों में लाठी, फरसा ले कर जबरदस्ती वादी के रिकार्डेड स्वामित्व व आधिपत्य की उक्त आराजीयात पर आए। वादी की उक्त आराजीयात में खडी बाजरा की फसल को जोतने लगे तथा जबरन कब्जा करने लगे। तो वादी ने सशक्त विरोध किया तव प्रति0 बडी मुश्किल से भागे तथा प्रति0 ने ऐलानिया तौर पर वादी को धमकी दी कि निकट भविष्य में लट्ठ के बल पर जबरदस्ती हम विवादित आराजी पर कब्जा करेंगे तथा वादी को बेदखल करने व अपना कब्जा करने की धमकी दी। प्रति0 ने पूर्व के भी वादी की आराजी पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहा, तब वादी ने पुलिस थाना बसईडांग में प्रथम सूचना रिपोर्ट तहरीर के माध्यम से दर्ज करा दी है। लेकिन पुलिस ने अभियुक्तगणों के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है तथा वादी को प्रति0 की उक्त धमकियों से यह लाजमी हो गया हो कि, वादी प्रतिवादीगण को जरिए हुक्म इस्तनाई दवामी से पावन्द करावे कि प्रतिवादीगण बादी की विवादित आराजी के स्वामित्व व आधिपत्य की विवादित आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत वैजा पैदा नहीं करें और ना वादी की आराजी में खड़ी बाजरे की फसल को उखाडे, न प्रति0 वादी को काश्त करने से रोकें, न किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करें, न अन्य से करावें।

इस प्रकार दावा पेश कर वादीया ने निवेदन किया कि :–

दावा वादी व खिलाफ प्रति0 मय खर्चा मुकदमा डिक्री किया जाकर विवादित आराजी पर प्रति0 को जरिए हुक्म इम्नताई दवामी से पावन्द किया जावे कि वे वादी की विवादित आराजी के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत वैजा पैदा नहीं करें और ना वादी की आराजी में खड़ी बाजरे की फसल को उजाडे, न प्रति0 वादी को काश्त करने से रोकें, न किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करें, न अन्य से करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0 बाबजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित आये। अतः उनके खिलाफ एम पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज

वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में Ex P1 शपथ पत्र वास्ते मुख्य परीक्षा, Ex P2 असल दावा, Ex P3 दावा की द्वितीय प्रति, Ex P4 to Ex 5 नकल जमाबन्दी सम्बत 2076–79 पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में Pw 1 स्वंय वादी राजवीर के शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान कराये।

बहस वकील वादी समाअत की गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत Ex P4 to Ex P6 नकल जमाबन्दी सं0 21076–79 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी व तरतीवी प्रति0 सं0 13 प्रश्नगत आराजी में मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार अंकित है। इसके अलावा प्रति0 का उक्त जमाबन्दियों में कोई नाम नहीं है। जिससे ज्ञात होता है कि प्रति0 का प्रश्नगत आराजी से कोई भी लेना देना नहीं है। प्रति0 का प्रश्नगत आराजी में कोई हित, हक या अधिकार नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से यह भी ज्ञात होता है कि प्रति0 द्वारा वादी की आराजी में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसके अलावा इस तथ्य की पुष्टि प्रति0 का वावजूद सूचना न्यायालय में आने से भी होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रति0 न्यायालय में उपस्थित आकर चाराजोई अवश्य करते। ऐसी स्थिति में वादी प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराने का अधिकारी पाया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर मेरी राय में वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रश्नगत आराजी खसरा नं0 1021 रकवा 0.5059 हैक्टेयर, 987/1741 रकवा 1.2646 हैक्टेयर, 1019 रकवा 0.7967 हैक्टेयर बाँके ग्राम कस्बानगर तहसील बाड़ी जिला धौलपुर में प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे वादी की आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत वैजा पैदा नहीं करें और ना वादी की आराजी में खड़ी फसल को उजाडे, न वादी को काश्त करने से रोकें, न किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करें, न अन्य से करावें। निर्णय मुताबिक डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी